कार्यालय

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर।

अल्पकालीन निविदा

देवघर जिलान्तर्गत श्रावणी मेला 2017 में चिकित्सा व्यवस्था एवं जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल/अनुमण्डलीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्दों आदि के लिए WHO GMP तथा ISI, ISO, CE, BIS प्रमाणित बहुराष्ट्रीय स्तर के निर्माता प्रतिष्ठान अथवा उनके अनुज्ञप्ति प्राप्त अधिकृत वितरक से सिल्ड बंद लिफाफे में निबंधित डाक द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। यह निविदा वर्ष 2017–18 के लिए अथवा इस कार्यालय के द्वारा ततसंबंधि अगली निविदा प्रकाशित होने तक प्रभावी रहेगी। निविदा अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 12.06.17 के अपराह्न 03:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगली तिथि 13.06.17 के अपराह्न 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा को खोले जाने के अवसर पर निविदा दाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। निविदा खोले जाने के समय निविदा से संबंधित नमूना भी प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।

निविदा की शर्ते।

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में एक साथ सील बंद होनी चाहिए।
2. आमंत्रित निविदा के अनुरूप क्रमवार टंकित तथा निर्दिष्ट विवरण सहित (प्रचलित करयुक्त) अंकित रहनेवाले निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा। निविदा में काट–छांट पाए जाने पर उसे अस्वीकार किया जाएगा।
3. तकनिकी निविदा के साथ वाणिज्य कर, आयकर, स्वच्छता प्रमाण पत्र, उत्पाद के निर्माण हेतु सक्षम पदाधिकारी से निर्गत अनुज्ञप्ति तथा अद्यतन नविनिकरण प्रमाण पत्र , कैटलॉक, पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न रहना अनिवार्य है।
4. दवा, रसायण आपूर्ति की निविदा के साथ WHO GMP Certified Lab. प्रमाणिकरण की अभिप्रमाणित प्रति को संलग्न करना अनिवार्य है।
5. उपस्कर/मशीन उपकरण के आपूर्ति को निविदा के साथ ISI, ISO, CE, BIS तथा DGS&D दर प्रमाणीकरण के अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. दवा रसायण के लिए 100000.00 (दो लाख) रूपए, मशीन उपकरण के लिए 100000.00 (दो लाख) रूपए, तथा सामग्री एवं आपूर्ति के लिए 25000 (पच्चीस हजार) रूपए का बैंक ड्राफ्ट अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट की तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. तकनिकी निविदा को सही पाए जाने के पश्चात् की वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
8. सरकारी स्तर के निर्माता प्रतिष्ठान अथवा उनके अधिकृत वितरक द्वारा भी दवा, सामान, उपस्कर एवं सामग्री की आपूर्ति के लिए भी निविदा समर्पित किया जा सकता है। सरकारी प्रतिष्ठान अग्रधन राशि जमा करने से विमुक्त रहेंगें।
9. समस्त निविदाताओं को निविदा के साथ तिथि के रूग्न नही रहने अथवा उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र मूल में जमा करना आवश्यक होगा।
10. क्रयादेश के अनुरूप निविदादाता की मशीन/दवा/सामग्र इत्यादि जिला अन्तर्गत प्रखण्डों तक पहुँचाना होगा वृहत मशीन उपकरण निदिष्ट स्थल पर अधिष्ठापन कर कर्मी को संचालन हेतु प्रशिक्षित करना होगा एवं निजी पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। जिसके पश्चात् ही विपत्र का भुगतान की जायगी।
11. वित्तीय निविदा लिफाफे में प्रकाशित निविदा के क्रमानुसार कोटिवार दवा, रसायण उपस्कर का सामग्री आपूर्ति का मदवार विशिष्टीकरण युक्त निर्दिष्ट विवरण सहित कर युक्त दर अंकित रहना अनिवार्य होगा।
12. दवा, मशीन उपकरण के निविदाताओं प्रतिष्ठानों का वाषिक टर्न ओभर 01 करोड़ रूपए से कम नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में निविदा दाता फार्म का विगत तीन वर्षों के Balance Sheat एवं Audit Report अभिप्रमाणित प्रति को भी संलग्न रहना अनिवार्य होगा।
13. आपूर्ति आदेश के 15 दिनों के अंदर निविदादाता फार्म द्वारा दवा, उपस्कर, सामग्री आपूर्ति संबंधित ईकाइ में अपने व्यय पर पहुँचाकर करना अनिवार्य होगा।
14. दवा, रसायना, उपस्कर आदि के आपूर्ति के क्रम में परिवहन के दौरान किसी प्रकार के टूट अथवा क्षति के लिए सरकार द्वारा कोई प्रभार अथवा क्षतिपूर्ति नहीं किया जायेगा।

15. निर्धारित अवधि के अंदर तथा मानक स्तर की दवा, रसायन अथवा उपस्कर नहीं रहने पर इसे संबंधित कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा।
16. आपूर्ति किए जाने वाले दवा, रसायण के अवधि पार तिथि 18 माह से कम नहीं होनी चाहिए।
17. आपूर्ति किए जाने वाले दवा, रसायण के पैक तथा उपस्करों के पैक पर Jharkhand Govt. Not for Sale अंकित रहना अनिवार्य होगा।
18. आपूर्ति किए गए दवा रसायण के बैच नंबर के अनुसार सरकारी/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का रसायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन भी आपूर्ति के साथ संलग्न रहना अनिवार्य होगा।
19. प्रकाशित निविदा में दवा, रसायण ,मशीन उपकरण तथा सामग्री आपूर्ति आदि का विवरण/मात्रा अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित है। साथ ही Website, deoghar.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक निविदादाता कार्यालय से भी कार्यकाल के दौरान विवरण प्राप्त कर सके है।
20. आदेश के बाद तय समय के अंदर दवा, रसायन, मशीन उपकरण एवं सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
21. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
22. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पूर्व या पश्चात् अगर विभाग से कोई दिषा निर्देश प्राप्त होगा उसे लागू करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
23. निविदादाता एजेंसी को आपूर्तिकृत दवा, सामग्री एवं मशीन उपकरण के गुणवत्ता के संबंध में कोई भी आपत्ति होने पर निराकरण होने तक भुगतान रोका जा सकता है।
24. दवा एवं मशीन उपकरण के मामले में निविदादाता फर्म/कंपनी ISO Certified होना आवश्यक है।
25. दवा के मामले में निविदादाता को Narocotic Drugs, AVS,ARV, Chemicals का दर निश्चित रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
26. निविदा में Generic दवा की प्राथमिकता दी जाएगी।
27. मशीन उपकरण बड़ी आपूर्ति होने पर कुल राशि का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में 05 वर्ष के लिए कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी।
28. निविदा को स्वीकार करने/अस्वीकार करने अथवा रद्द किए जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में रहेगा।
29 निविदादाता स्वयं निर्भाता कंपनी अथवा उनके अधिकृत विक्रेता हो सकतें हैं परन्तु निर्माता द्वारा अधिकृत करने संबंधी प्राधिकार पत्र संलग्न करना होगा। संबंधित संस्थानों में उन्हीं दवाओं एवं मशीन उपकरण की अपूर्ति स्वीकार की जाएगी जिसके लिये निर्माता कंपनी द्वारा सीधा प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया हो। तकनीकि निविदा के साथ प्राधिकार पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
30. प्रकाशित निविदा के क्रम में उत्पन्न किसी प्रकार का न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार देवघर रहेगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर। 28/5/17

ज्ञापांक 1127 /देवघर, दिनांक 29/5/17 /

प्रतिलिपि :–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही आग्रह है कि सूची को deoghar.nic.in पर प्रकाशित करने का कष्ट किया जाय इस हेतु सूची की सॉफ्ट कॉपी पत्र के साथ भेजी जा रही है।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर। 28/5/17